

निर्णय करे /  
श्रीकृष्ण पासवान  
22/11/18

बिहार सरकार  
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-7/स्था0 (अ0नि0)-01-03/2013.....612..... मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के निम्नांकित अवर निरीक्षक उत्पाद को आसन्न सेवानिवृति एवं निलंबन मुक्त होने के फलस्वरूप अगले आदेश तक तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है -

क्र0 सं0	अवर निरीक्षक उत्पाद का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन का जिला	नवपदस्थापन जिला का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री लक्ष्मण चौधरी	भोजपुर	बक्सर	गया	आसन्न सेवानिवृति के कारण।
2	मो0 हैदर अली	रोहतास	बेगूसराय	बक्सर	खगड़िया से निलंबित एवं निलंबन अवधि में मुख्यालय बेगूसराय।

- उपर्युक्त स्थानान्तरित/पदस्थापित अवर निरीक्षक उत्पाद 03 दिनों के अंदर नवपदस्थापन जिला में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
- उपर्युक्त अवर निरीक्षक उत्पाद को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
- प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(श्रीकृष्ण पासवान)

उपायुक्त उत्पाद (मु0)  
ई0आई0बी0, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 22.02.18

ज्ञापांक - 7/स्था0 (अ0नि0)-01-03/2013 612

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त उत्पाद (मु0)

ई0आई0बी0, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 22.02.18

ज्ञापांक - 7/स्था0 (अ0नि0)-01-03/2013 612

प्रतिलिपि :- संबंधित समाहर्ता/संबंधित उपायुक्त उत्पाद/संबंधित सहायक आयुक्त उत्पाद/संबंधित अधीक्षक उत्पाद/संबंधित अवर निरीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त उत्पाद (मु0)

ई0आई0बी0, बिहार, पटना।